न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./57/2012/जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी जोरसिंह राजपूत

2.शोभसिंह पुत्र जोरसिंह के कायम मुकाम:–

2/1श्रीमती अणचकंवर पत्नी शोभसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर।

2/2श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपालसिंह पुत्री शोभसिंह जाति राजपूत निवासी रिदवा।

2/3श्री सगतसिंह पुत्र श्री शोभसिंह

2/4श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र शोभसिंह

2/5हंजारसिंह पुत्र शोभसिंह जातियान राजपूत निवासीयान खीवसर तहसील व जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 16/2008 बअनवान श्रीमती भंवरीदेवी वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री मुरलीधर जोशी रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांक:– 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का वाद पेश किया। ग्राम खींवसर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 150 में वादी की कब्जा काश्त होने व खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए वादी द्वारा अपनी साक्ष्य से हकदारी साबित नहीं किये जाने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई। खसरा संख्या 150 में वादीगण का संवत 2043, 2064 से 2067 में अतिक्रमण के जरिये काश्त रही है। मात्र इस आधार पर वादीगण राजकीय भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हकादार नहीं हो सकता। अपीलांट के साक्षी हल्का पटवारी की मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता/पति जोरसिंह जिन्हें दिनांक 05.07.1971 को समरी खसरा संख्या 20 में 75 बीघा भूमि सेलतकिला(खींवसर) में आवंटन की गई थी को कभी आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था। आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से वादीगण किसी अनुतोष के हकदार नहीं है। स्थाई बंदोबस्त कार्यवाही के समय वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और खसरा संख्या 150 को सिवायचक दर्ज किये जाने में बंदोबस्त कार्यवाही में कोई अवैधानिकता नहीं रही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 20.01.2011 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम खींवसर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 150 में वादी की कब्जा काश्त होने व खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए वादी द्वारा अपनी साक्ष्य से हकदारी साबित नहीं किये जाने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई। खसरा संख्या 150 में वादीगण का संवत 2043, 2064 से 2067 में अतिक्रमण के जरिये काश्त रही है। मात्र इस आधार पर वादीगण राजकीय भूमि का हकादार नहीं हो सकता। अपीलांट के साक्षी हल्का पटवारी की मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता/पति जोरसिंह जिन्हें दिनांक 05.07.1971 को समरी खसरा संख्या 20 में 75 बीघा भूमि सेलतकिला(खींवसर) में आवंटन की गई थी को कभी आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था। आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से वादीगण किसी अनुतोष के हकदार नहीं है। स्थाई बंदोबस्त कार्यवाही के समय वादी का वादग्रस्त आराजी पर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त नहीं रहा है और खसरा संख्या 150 को सिवायचक दर्ज किये जाने में बंदोबस्त कार्यवाही में कोई अवैधानिकता नहीं रही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण के पिता/पति को गांव खींवसर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 05.07.1971 को कैम्प मोहनगढ़ में समरी खसरा संख्या 20 में रकबा 75 बीघा जमीन जरिऐ आदेश क्रमांक 944 दिनांक 15.07.1971 के आवंटन हुआ था। वादीगण के पिता/पति अनपढ एवं काश्तकार थे एवं तहसील स्तर पर क्या कार्यवाही होनी थी उनको ज्ञात नहीं था पटवारी हल्का का दायित्व था कि आवंटन के बाद स्व. जोरसिंह के नाम से नामान्तकरण खोलता परंतु पटवारी हल्का ने ऐसी कार्यवाही नहीं की जिस कारण समरी बंदोबस्त में जोरसिंह के नाम से खेत दर्ज नहीं हुआ। वादीगण का आवंटन से लेकर आज तक निरन्तर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता/पति को भूमि का आवंटन होने से भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी होने व निर्णय डिक्री की अधीनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया है कि आवेदक जोरसिंह पुत्र बलोंतसिंह ने "विस्थापित ग्राम केरू" से (भूमि फील्ड फायरिंग रेंज में आ जाने से) होने के नाते एवं भूमिहीन होने से 75 बीघा भूमि का आवेदन (EX-1) किया गया था। जिसके फलस्वरूप दिनांक 04.07.1971 को ग्राम सैलत कीला (खींवसर) में सरकारी परत खसरा संख्या 20 रकबा 19995 बीघा में से 75 बीघा का आवंटन किया गया जिसका आवंटन आदेश (EX-2) कार्यालय उप जिलाधीश जैसलमेर के आदेश क्रमांक 994 दिनांक 15.07.1971 को जारी हुआ। यह आवंटन राज्य सरकार की तत्समय फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से किया गया था। इस आवंटित भूमि का स्थाई बंदोबस्त में अमल दरामद नहीं हुआ। आवंटित खसरा संख्या 20 का रकबा लगभग 20 हजार बीघा था जिसमें मुताबिक कब्जा **आवंटी बी पी एल चयनित परिवार काबिज काश्त रहा।** खसरा परिवर्तनशील संवत 2043 (EX-3) ग्राम खींवसर के खसरा संख्या 150, 151 में कुल रकबा 13 बीघा पर भंवरी पत्नी जोरसिंह, शोभसिंह पुत्र जोरसिंह का कब्जा काश्त साबित है जो रिकॉर्ड (EX-9) मुताबिक राजकीय भूमि (खेती के लिए उपलब्ध) रकबा 110.10 बीघा है। इस पर बाद में भी कब्जा काश्त रहा है जो प्रदर्श अभिलेख (EX-1, EX-10, EX-16, EX-15) से साबित हैं। आवंटी परिवार ने प्रशासन को आवंटित भूमि की खातेदारी देने के लिए भी आवेदन किये मगर उसे सक्षम न्यायालय में जाकर उज्रदारी करने का निर्देश मिला। रिकॉर्ड पर पटवारी हल्का काठोड़ी की एक रिपोर्ट तहसीलदार जैसलमेर को संबोधित है (EX-14) जो साबित करती है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 150 रकबा 110.10 बीघा ग्राम खींवसर पर स्व जोरसिंह की पत्नी भंवरीदेवी (रेस्पोडेंट संख्या 01) व पुत्र शोभसिंह (रेस्पोडेंट संख्या 02 मृतक) का लगातार कब्जा है, मौके पर झौंपा बना हुआ है। संवत 2064 में भी काश्त प्रतिवेदित की गई है। इस भूमि पर अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं है। इसकी पुष्टि राजकीय गवाह हीराराम के बयानों में भी होती है। **आवंटित भूमि के खसरा संख्या 20 में हाल खसरा संख्या 150 बने है यह भी बयानों से स्पष्ट है। आवेदक का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है लिहाजा वह आज भी प्रभावी है।** आवंटित भूमि पर रेस्पोडेंट का आवंटन से लगातार

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त होने से वे इस पर **बी पी एल चयनित एवं विस्थापित परिवार की श्रेणी के होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र एवं हकदार है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया अपीलाधीन निर्णय बाद परीक्षण एवं विवेचन तथ्यों पर गौर करके दिया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा उसमें किसी भी प्रकार से दखल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 16/2008 बअनवान श्रीमती भंवरीदेवी वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2011 को यथावत रखा जाता है।

21/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner